

18/11/17 पत्रावली आज वागुडाम रेगुप मोरि वनाड में पेश हुई।

पत्रावली वाले सम्मन दिनांक 11/11/17 से लम्बित

बादी एवं जग्गिबादी ओ नो रिफि क्रेजे गए। दोनों


वाला नूद सूचना अनुपास्ये। पत्रावली का

~~वाला नूद सूचना अनुपास्ये। पत्रावली का~~  
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)



गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। पत्रावली में  
 अभी 5 वर्ष से आमतौर में शामिल नहीं होना  
 था। बाकी पक्ष की वाद-चलाने में अरुचि को  
 प्रतीत करता है। पिछली पेशी में भी नियमित  
 सुनवाई के दौरान भी बाकी पक्ष को प्रतिवादी  
 गण के नोटिस जारी रजि-A-D में जाने के आदेश  
 हुए थे परंतु आज दिनांक तक भी नोटिस  
 शामिल। अदालत शामिल प्राप्त नहीं। एवं वहीं  
 बोधी स्वयं उपस्थित जिसे स्वार प्रतीत होता  
 है कि बाकी वाद नहीं चलाना चाहता है। अतः  
 लोकअदालत केम आर्ट में भावना एवं पत्रावली  
 के गुणावगुण पर अवलोकन पश्चात पत्रावली  
 आदेश 9 नियम 2 सिविल प्रिया संस्था के  
 तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फसल शुभाय  
 हो कर नामक से उस हो कर तकरील दारिजल  
 पत्र हो।



  
 जिला न्यायाधीश (अदालत)  
 जयपुर